

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2869]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 2869]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3759(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2098 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 216/900 कि. मी. से 238/900 कि.मी. (मुलबागल-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 2 अगस्त, 2013 को “विजय कर्नाटक” और “डेक्कन हेराल्ड” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 216/900 कि.मी. से 238/900 कि.मी. तक (मुलबागल-आंध्र प्रदेश / कर्नाटक सीमा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोलार	मुलबागल	नन्गली	242	सरकारी	खराब	4350	टंकी का आधार
				243	निजी	शुष्क एवं बागीचा	4780	1. पद्मावतम्मा, पत्नी-चलपति रेड्डी
								2. चंगा रेड्डी अलियास अब्बण्णा, पुत्र-नदुपण्णा
								3. एच. नारायण रेड्डी
								4. वी. राजा रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी
								5. एच. रामचन्द्र रेड्डी
								6. एच. चंद्रशेखर रेड्डी
								7. एच. केशव रेड्डी
								8. वी. गोविंद रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी अलियास अब्बण्णा
				257	निजी	शुष्क	3326	चंगा रेड्डी, पुत्र-रामा रेड्डी
				258/1	निजी	एनएके	3480	1. चंगा रेड्डी, पुत्र-चिक्क मुनि रेड्डी
								2. सी. राजलक्ष्मी, पत्नी-कृष्णा मूर्ति
								3. सी. राजेन्द्र, पुत्र-चिन्नप्पा
				258/2	निजी	शुष्क	2910	चंगा रेड्डी, पुत्र-चिक्क मुनि रेड्डी
				258/3	निजी	शुष्क	2960	एच. केशव रेड्डी, पुत्र-हनुमंत रेड्डी
				259/1	निजी	शुष्क	1840	1. वेंकटम्मा, पत्नी-सुब्बा रेड्डी
								2. सी. वेंकट मुनि रेड्डी, पुत्र-नदुपण्णा नवर चंगा रेड्डी
				259/2	निजी	शुष्क	8131	जे. रंगा रेड्डी, पुत्र-गंगी रेड्डी
				259/3	निजी	शुष्क	1900	सी. वेंकट मुनि रेड्डी, पुत्र-नदुपण्णा नवर चंगा रेड्डी
				260/1	निजी	शुष्क	4080	1. सुब्ब लक्ष्मम्मा, पत्नी-राम रेड्डी
								2. राधाकृष्ण रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी
								3. वी. मोहन रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी
				260/3	निजी	शुष्क	7305	वरलक्ष्मम्मा, पत्नी-कृष्णप्पा
				260/4	निजी	शुष्क	68	वरलक्ष्मम्मा, पत्नी-कृष्णप्पा
				261	निजी	शुष्क	3485	चंगा रेड्डी, पुत्र-रामा रेड्डी
				262	निजी	शुष्क	467	1. नारायण रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी
								2. आर.वेंकटमुनि रेड्डी, पुत्र-रामा रेड्डी
								3. आर. चंगा रेड्डी, पुत्र-रामा रेड्डी
								4. सी. वेंकटमुनि रेड्डी, पुत्र-चंगा रेड्डी
				506	निजी	शुष्क	2625	1. सुब्ब लक्ष्मम्मा, पत्नी-रामा रेड्डी
								2. चंगा रेड्डी, पुत्र-चिक्क मुनि रेड्डी
								3. राधाकृष्ण रेड्डी, पुत्र-वेंकट रेड्डी
कुल							51707	

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/01/2009/एलए/केआरटी/बीएनजी]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2013

S.O. 3759(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2098 (E), dated 9th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening, four lining etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.4 on the stretch of land from km. 216/900 to km. 238/900 (Mulbagal-AP/Karnataka Border Section) in District of Kolar in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Vijaya Karnataka" and "Deccan Herald", both dated the 2nd August, 2013; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government ;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 216/900 to km. 238/900 (Mulbagal-AP/Karnataka Border Section) on the National Highway No. 4 in the State of Karnataka.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the persons interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kolar	Mulbagal	Nangali	242	Govt.	Kharab	4350	Tank Bed
				243	Private	Dry & Garden	4780	1. Padmavathamma W/o Chalapathi Reddy
								2. Changa Reddy @ Abbanna S/o Nadupanna
								3. H. Narayana Reddy
								4. V. Raja Reddy S/o Venkata Reddy
								5. H. Ramachandra Reddy
								6. H. Chandra Shekara Reddy
								7. H. Keshava Reddy
								8. V. Govinda Reddy S/o Venkata Reddy @ Abbanna
				257	Private	Dry	3326	Changa Reddy S/o Rama Reddy
				258/1	Private	NAK	3480	1. Changa Reddy S/o Chikka Muni Reddy
								2. C. Rajalakshmi W/o Krishna Murthy

								3. C. Rajendra S/o Chinnappa
				258/2	Private	Dry	2910	Changa Reddy S/o Chikka Muni Reddy
				258/3	Private	Dry	2960	H. Keshva Reddy S/o Hanumantha Reddy
				259/1	Private	Dry	1840	1. Venkatamma W/o Subba Reddy
								2. C. Venkata Muni Reddy S/o Nadupanna Navara Changa Reddy
				259/2	Private	Dry	8131	J. Ranga Reddy S/o Gangi Reddy
				259/3	Private	Dry	1900	C. Venkata Muni Reddy S/o Nadupanna Navara Changa Reddy
				260/1	Private	Dry	4080	1. Subba Lakshamma W/o Rama Reddy
								2. Radhakrishna Reddy S/o Venkata Reddy
								3. V. Mohana Reddy S/o Venkata Reddy
				260/3	Private	Dry	7305	Varalakshamma W/o Krishnappa
				260/4	Private	Dry	68	Varalakshamma W/o Krishnappa
				261	Private	Dry	3485	Changa Reddy S/o Rama Reddy
				262	Private	Dry	467	1. Narayana Reddy S/o Venkata Reddy
								2. R. Venkatamuni Reddy S/o Rama Reddy
								3. R. Changa Reddy S/o Rama Reddy
								4. C. Venkatamuni Reddy S/o Changa Reddy
				506	Private	Dry	2625	1. Subba Lakshamma W/o Rama Reddy
								2. Changa Reddy S/o Chikkamuni Reddy
								3. Radhakrishna Reddy S/o Venkata Reddy
Total							51707	

[F. No. NHAI/11013/01/2009/LA/KRT/Bng]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.